CALL@7235808541

An initiative of VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
Galaxy Achieve Your Goal

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आईटी एक्ट की 66 A धारा में अब किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। इस धारा को कोर्ट सात साल पहले असंवैधानिक घोषित कर चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A

- आईटी एक्ट, 2000 में वर्ष 2008 में संसोधन के द्वारा धारा 66A को जोड़ा गया था।

दंड का प्रावधान

- आपत्तिजनक या धमकी भरा संदेश भेजने पर
- कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के जरिए जानबूझकर झूठी सूचना देना
- आपराधिक धमकी देने और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना का वातावरण बनाने वाले को
- किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल मेसेज भेजकर परेशान करने, धोखा देने और उससे अपनी पहचान छिपाने का प्रयास करने वाले को

- ऐसे अपराध के लिए तीन वर्ष तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान ।
- वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था।

भारत का उच्चतम न्यायालय

स्थापना	वर्ष 1935 (भारत का संघीय न्यायालय के रूप में) 28 जनवरी 1950 (भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में)
अधिकार क्षेत्र	भारत
अवस्थिति	तिलक मार्ग, नई दिल्ली (दिल्ली)
प्राधिकृत	भारत का संविधान
न्यायाधीश कार्यकाल	65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति
पदों की संख्या	34 (33+1; वर्तमान संख्या)
वर्तमान मुख्य न्यायधीश	उदय उमेश ललित